दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 10-12-2025

विषय सूची

- CAA के अंतर्गत नागरिकता सिर्फ़ जांच के पश्चात ही प्राप्त होगी: SC
- मानवाधिकार दिवस 2025
- शिक्षा पर संसदीय समिति ने परीक्षा और मान्यता में सुधार की सिफारिश की
- अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण
- AI-कॉपीराइट में 'वन नेशन, वन लाइसेंस, वन पेमेंट' मॉडल के साथ बड़ा परिवर्तन

संक्षिप्त समाचार

- सी. राजगोपालाचारी
- 'आपका पैसा, आपका अधिकार' आंदोलन
- मेफेड्रोन
- नई गाज़ा सीमा को परिभाषित करती 'येलो लाइन'
- ट्रम्प द्वारा भारतीय चावल पर टैरिफ लगाने की धमकी
- ब्लू कॉर्नर नोटिस
- भारत 6G गठबंधन (B6GA)
- अफ्रीकी पेंगुइन

CAA के अंतर्गत नागरिकता सिर्फ़ जांच के पश्चात ही प्राप्त होगी: SC

संदर्भ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के अंतर्गत नागरिकता स्वतः प्राप्त नहीं होगी।
  - आवेदकों को प्राकृतिककरण/देशीयकरण की सभी शर्तें पूरी करनी होंगी और केंद्र सरकार को प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करनी होगी।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताएँ

- **उद्देश्य और लक्ष्य**: CAA, 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है ताकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए कुछ उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जा सके।
- **पात्र समुदाय**: अधिनियम विशेष रूप से छह गैर-मुस्लिम धार्मिक समुदायों को कवर करता है — हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई।
- **पात्रता तिथि**: इन समुदायों के वे व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पूर्व भारत में बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के आए थे या जिनके दस्तावेज समाप्त हो गए थे, नागरिकता के लिए पात्र हैं।
- **'अवैध प्रवासी' स्थिति से छूट**: ऐसे व्यक्तियों को अधिनियम के अंतर्गत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, जिससे वे प्राकृतिककरण/देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकें।
- **निवास अवधि में कमी**: इन समूहों के लिए प्राकृतिककरण/देशीयकरण हेतु भारत में निवास की आवश्यक अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है।
- **लागू होने से अपवाद**:
  - असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र (संविधान की छठी अनुसूची में शामिल)।
  - 'इनर लाइन परमिट' प्रणाली वाले क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड और मणिपुर)।

भारतीय नागरिकता के मार्ग

- **संवैधानिक आधार:** भारत के संविधान (भाग II) के अनुच्छेद 5–11 नागरिकता का प्रारंभिक ढाँचा प्रस्तुत करते हैं:
  - **अनुच्छेद 5**: संविधान लागू होने के समय भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है।
  - **अनुच्छेद 6**: पाकिस्तान से आए प्रवासियों को कुछ शर्तों के अंतर्गत नागरिकता देता है।
  - **अनुच्छेद 7**: जो लोग पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में लौट आए, उनके लिए प्रावधान करता है।
  - **अनुच्छेद 8**: विदेशों में रहने वाले भारतीयों को नागरिकता प्रदान करता है।
  - **अनुच्छेद 9**: द्वैध नागरिकता पर रोक लगाता है; यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।
  - **अनुच्छेद 10**: सुनिश्चित करता है कि मौजूदा नागरिक तब तक अधिकारों का आनंद लेते रहें जब तक कि कानून के अंतर्गत समाप्त न कर दिए जाएँ।
  - **अनुच्छेद 11**: संसद को कानून द्वारा नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार देता है।
- **वैधानिक प्रावधान**
  - **नागरिकता अधिनियम, 1955**: भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने का कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख तरीके:
    - जन्म से (धारा 3)
    - वंश से (धारा 4)
    - पंजीकरण से (धारा 5)
    - प्राकृतिककरण/देशीयकरण से (धारा 6)
    - क्षेत्र के विलय से (धारा 7)

संबंधित चिंताएँ और मुद्दे

- **कानूनी और संवैधानिक चुनौतियाँ**: सर्वोच्च न्यायालय में CAA की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 230 से अधिक याचिकाएँ लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) और धर्मनिरपेक्षता की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।
- **असम समझौता, 1985 का उल्लंघन**: असम समझौते ने 24 मार्च 1971 को अवैध प्रवासियों की पहचान की कट-ऑफ तिथि तय की थी (धारा 6A, CAA 2019)। CAA इस तिथि को 2014 तक बढ़ाकर जनसांख्यिकीय संतुलन बदलता है और सांस्कृतिक क्षरण का भय उत्पन्न करता है।
- **NRC और मतदाता सूची से संबंध**: CAA का उपयोग चुनिंदा नागरिकता देने के लिए किया जा सकता है, जबकि NRC और SIR का उपयोग अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने के लिए किया जा सकता है।
- **समूहों का भेदभावपूर्ण बहिष्कार**: दक्षिण एशिया क्षेत्र के कई अन्य समूह जैसे रोहिंग्या मुसलमान, भूटानी, हजारा, शिया और अहमदिया बाहर रह जाते हैं।
  - ये समूह भी अपनी धार्मिक पहचान के कारण उत्पीड़न का सामना कर चुके हैं और भारत में शरण चाहते हैं।

Source: TH

मानवाधिकार दिवस 2025

संदर्भ

- मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्वभर में मनाया जाता है।

मानवाधिकार दिवस के बारे में

- यह दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा **सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र (UDHR)** को अपनाने का प्रतीक है।
  - मानवाधिकार दिवस 1950 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है।
- **2025 का विषय**: "मानवाधिकार, हमारे दैनिक आवश्यक तत्व"।

सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र (UDHR) क्या है?

- यह दस्तावेज़ एक प्रस्तावना और 30 अनुच्छेदों से मिलकर बना है, जो मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को निर्धारित करता है।
- यह ऐतिहासिक दस्तावेज़ उन अविच्छेद्य अधिकारों को स्थापित करता है जिनका प्रत्येक व्यक्ति, उसकी जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति की परवाह किए बिना, हकदार है।
- यह घोषणा-पत्र कोई संधि नहीं है और स्वयं में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें बताए गए सिद्धांतों को कई देशों के कानूनों में शामिल किया गया है तथा इसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का आधार माना जाता है।

मानवाधिकार क्या हैं?

- मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएँ हैं जो प्रत्येक मानव को उसकी राष्ट्रीयता, जातीयता, लिंग, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से प्राप्त हैं।
- ये अधिकार सार्वभौमिक, अविच्छेद्य और अविभाज्य माने जाते हैं, जो मानव गरिमा, समानता एवं न्याय की नींव बनाते हैं।
- मानवाधिकार, **नागरिक अधिकारों** से भिन्न हैं। नागरिक अधिकार किसी विशेष राष्ट्र के कानूनों द्वारा बनाए और परिभाषित किए जाते हैं।
  - नागरिक अधिकार सरकार द्वारा दिए गए कानूनी अधिकार होते हैं और समय के साथ कानूनों में संशोधन या अद्यतन होने पर बदल सकते हैं।

मानवाधिकारों का महत्व

- **निहित गरिमा**: मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा की पुष्टि करते हैं।
- **समानता और भेदभाव-निषेध**: ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलें और उन्हें निष्पक्षता एवं बिना पूर्वाग्रह के व्यवहार मिले।
- **दुरुपयोग से संरक्षण**: मानवाधिकार सरकारों, संस्थानों और व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने का ढाँचा प्रदान करते हैं, जिससे न्याय एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

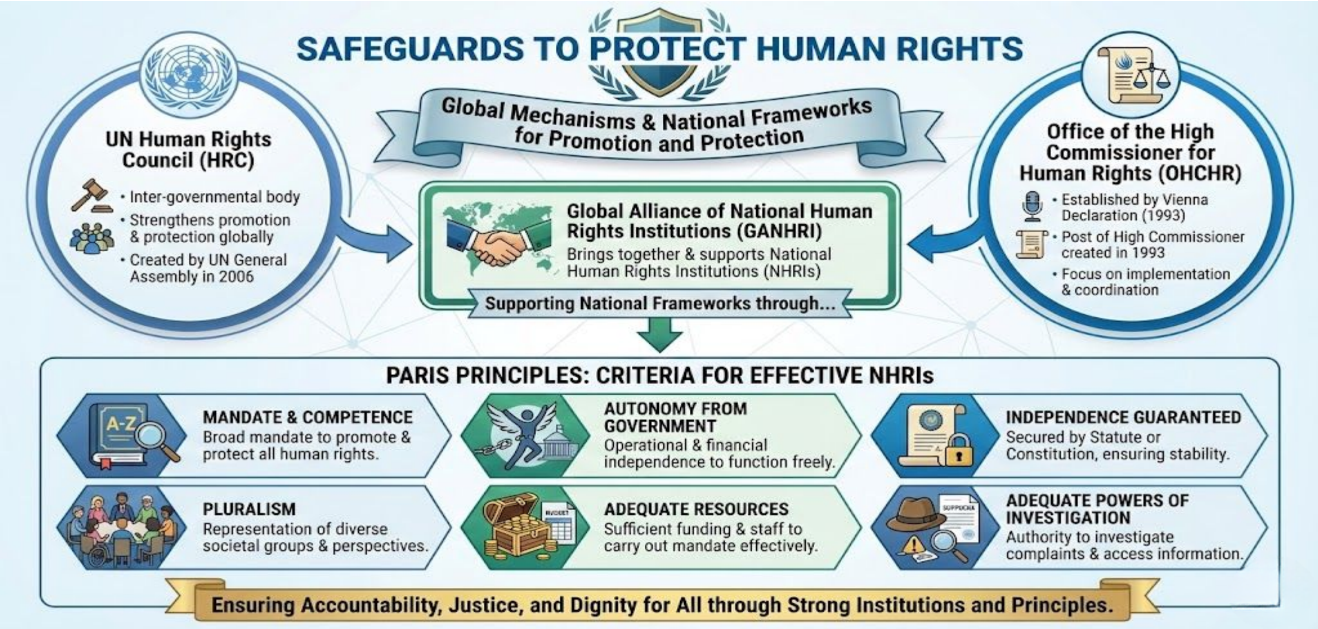

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

- यह एक वैधानिक निकाय है जिसे 1993 में **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम** के अंतर्गत भारत में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया।
- इसमें एक अध्यक्ष (पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश), न्यायिक सदस्य, मानवाधिकार विशेषज्ञ और राष्ट्रीय आयोगों से पदेन सदस्य शामिल होते हैं।
- NHRC मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करता है, सिफारिशें जारी करता है, न्यायालय मामलों में हस्तक्षेप करता है, सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है, जागरूकता को बढ़ावा देता है और सरकार को नीतिगत सुधारों पर परामर्श देता है।
- यद्यपि इसे दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं।

Source: DD NEWS

शिक्षा पर संसदीय समिति ने परीक्षा और मान्यता में सुधार की सिफारिश की

संदर्भ

- शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकायों पर अपनी 371वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ

- **NTA का प्रदर्शन**: इसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के प्रदर्शन को उजागर किया गया, जिसमें हाल की परीक्षाओं में अनियमितताओं का उल्लेख है।
  - प्रमुख परीक्षाओं जैसे NEET-UG, UGC-NET, CUET और JEE (Main) में बार-बार विलंब और त्रुटियाँ।
  - समिति ने बल दिया कि ऐसी टालने योग्य त्रुटियाँ पुनः नहीं होनी चाहिए।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी**: संकाय भर्ती और बुनियादी ढाँचे में लगातार कमी, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों और UGC-वित्तपोषित संस्थानों में नए संकाय के लिए बीज अनुदान की कमी और मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्ज़िट कार्यक्रम लागू करने में बाधाएँ शामिल हैं।
- **ऑनलाइन शिक्षा में विलंब**: कम NAAC मान्यता स्कोर वाले संस्थानों के लिए ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा अनुमोदनों में देरी पर चिंता व्यक्त की गई, और UGC से इन प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया।
- **मान्यता पर**: राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद (NAAC) से संबंधित चिंताओं को उजागर किया गया, जो उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करती है।
  - समिति ने अनियमितताओं की सीमा और उठाए गए सुधारात्मक कदमों का विवरण देने का आह्वान किया।

- सुधारों की आवश्यकता बताई गई जैसे बुनियादी मान्यता ढांचा और परिपक्वता आधारित वर्गीकृत स्तर ताकि प्रक्रिया अधिक वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी एवं विवेकाधिकार की सीमित क्षमता वाली हो।

- **UGC मसौदा विनियमों पर**: समिति ने अनुशंसा की कि जनवरी 2025 के UGC मसौदा विनियमों को व्यापक हितधारक परामर्श हेतु केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) को भेजा जाए।
  - समिति ने बल दिया कि इन विनियमों को राष्ट्रीय मानकों और राज्य की स्वायत्तता दोनों को बनाए रखना चाहिए।

सिफारिशें

- **NTA द्वारा आयोजित डिजिटल परीक्षाएँ**: समिति ने अनुशंसा की कि NTA अपनी आंतरिक क्षमता को बढ़ाए और डिजिटल तथा आउटसोर्स परीक्षाओं से जुड़ी कमजोरियों को कम करने के लिए पेन-एंड-पेपर परीक्षण पर नया बल दे।
  - साथ ही, पेपर सेटिंग और प्रशासन में शामिल फर्मों की एक राष्ट्रीय स्तर की ब्लैकलिस्ट तैयार करने की सिफारिश की गई ताकि त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

- **वेतन और भत्ते**: समिति ने केंद्रीकृत वित्तपोषित संस्थानों में संकाय और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विस्तार करने, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) की राशि बढ़ाने और ICSSR अनुसंधान संस्थानों में 7वें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश की।
- **रिक्तियों को भरना**: समिति ने तत्काल रिक्तियों को भरने, पदोन्नतियों को लागू करने और ICSSR अनुसंधान संस्थानों में नेतृत्व पदों की नियुक्ति का आह्वान किया।
- **शासन पर**: समिति ने निकायों में अधिक सहभागी निर्णय-निर्माण का आग्रह किया ताकि उनकी स्वायत्त प्रकृति बनी रहे।
- **मान्यता**: NEP 2020 के कार्यान्वयन की चुनौतियों को उजागर करते हुए समिति ने तीव्र और सुव्यवस्थित मान्यता एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर बल दिया।
  - साथ ही, निजी कोचिंग केंद्रों के प्रसार को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने के उपाय सुझाए कि परीक्षा प्रश्नपत्र स्कूल पाठ्यक्रम को सुदृढ़ करें, न कि समानांतर कोचिंग पाठ्यक्रम को।

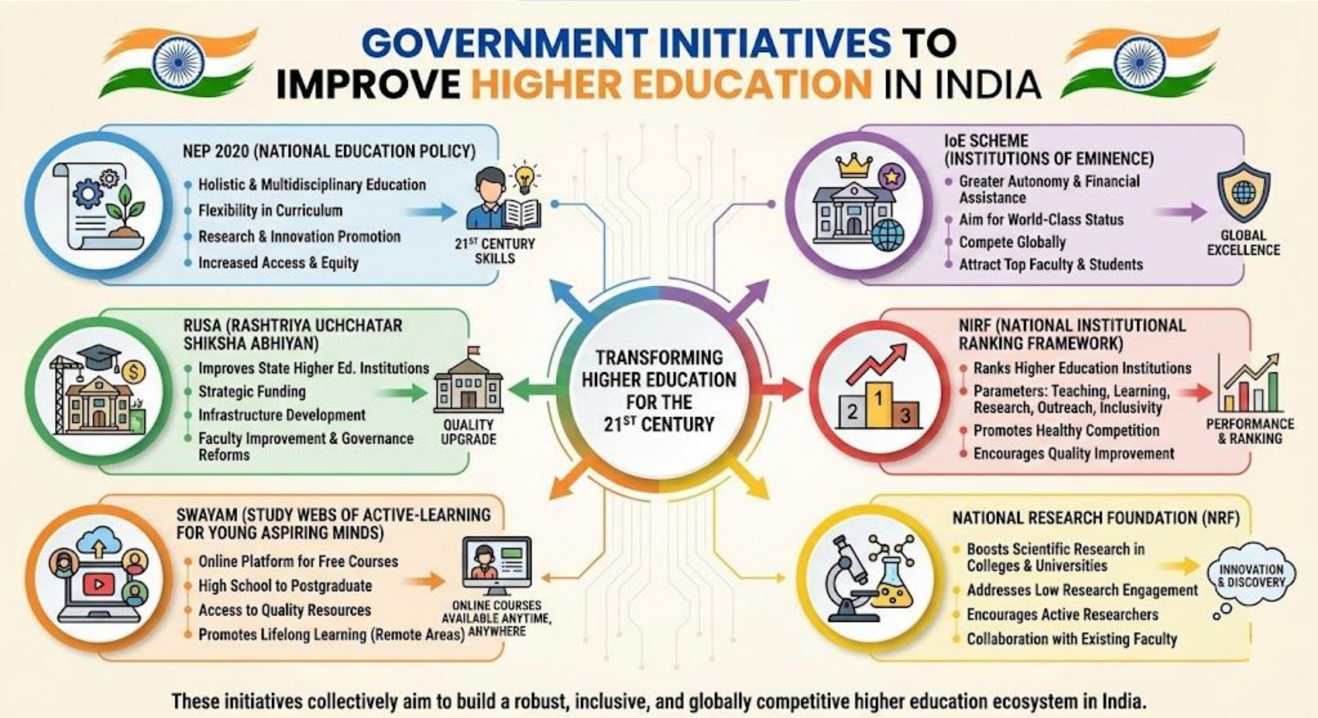

Source: HT

अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण

समाचारों में

- अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) 2025 जारी की है, जो शीत युद्ध के बाद की अमेरिकी विदेश नीति रूपरेखाओं से एक निर्णायक प्रस्थान को दर्शाती है और अमेरिकी वैश्विक रणनीति के केंद्र में "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA)" एजेंडा को रखती है।

MAGA नई NSS को कैसे आकार देता है?

- **केंद्रित राष्ट्रीय हित**: केवल वे मुद्दे जो सीधे अमेरिकी सुरक्षा और समृद्धि को प्रभावित करते हैं, रणनीतिक माने जाते हैं; दस्तावेज़ ने पहले की "वैश्विक प्रभुत्व" महत्वाकांक्षाओं की स्पष्ट आलोचना की है।
- **क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ**: यह पश्चिमी गोलार्ध को शीर्ष पर रखता है, "ट्रंप परिशिष्ट" (Trump Corollary) की घोषणा करते हुए मोनरो सिद्धांत को पुनः स्थापित करता है ताकि अमेरिका की श्रेष्ठता को अमेरिका महाद्वीप में पुनः स्थापित किया जा सके और चीन तथा अन्य बाहरी क्षेत्रीय प्रभावों को सीमित किया जा सके।
  - **मोनरो सिद्धांत**: यह एक विदेश नीति सिद्धांत था जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने 1823 में घोषित किया था, जिसमें कहा गया था कि पश्चिमी गोलार्ध भविष्य की यूरोपीय उपनिवेशीकरण के लिए बंद है और अमेरिका स्वतंत्र अमेरिकी राज्यों में किसी भी यूरोपीय हस्तक्षेप का विरोध करेगा।
- **राष्ट्रों और संप्रभुता की प्रधानता**: यह राष्ट्र-राज्य को मौलिक इकाई के रूप में स्थापित करता है, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और "अंतरराष्ट्रीयवाद" के विरुद्ध अमेरिकी संप्रभुता की रक्षा करता है और सभी राज्यों को अपने हितों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **गैर-हस्तक्षेपवाद की प्रवृत्ति**: यह विदेशों में हस्तक्षेप के लिए उच्च मानक तय करता है, "अनंत युद्धों" की आलोचना करता है, जबकि यह भी सुनिश्चित करता है कि अमेरिका अत्यधिक सैन्य शक्ति बनाए रखे ("शक्ति के माध्यम से शांति")।
- **आर्थिक राष्ट्रवाद**: यह पुनःऔद्योगिकीकरण, उत्पादन वापसी (reshoring), शुल्क, संतुलित व्यापार और "ऊर्जा प्रभुत्व" (Net Zero/जलवायु एजेंडा को अस्वीकार करना सहित) को केंद्रीय सुरक्षा उद्देश्यों तक उठाता है, जो सीधे MAGA आर्थिक विषयों के अनुरूप है।
- **जन प्रवासन का अंत**: यह घोषणा करता है कि "जन प्रवासन का युग समाप्त हो गया है", सीमा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का प्राथमिक तत्व मानता है और प्रवासन, नशीले पदार्थों एवं अपराध को मुख्य खतरों से जोड़ता है — जो बाहरी रणनीति में MAGA घरेलू राजनीति का प्रतिबिंब है।
- **सुदृढ़ चीन अभिसरण**: 2025 की अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति स्पष्ट रूप से चीन को अमेरिका की प्राथमिक रणनीतिक चुनौती के रूप में रखती है, जो इंडो-पैसिफिक में रोकथाम और प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित एक तीव्र दृष्टिकोण को दर्शाती है।

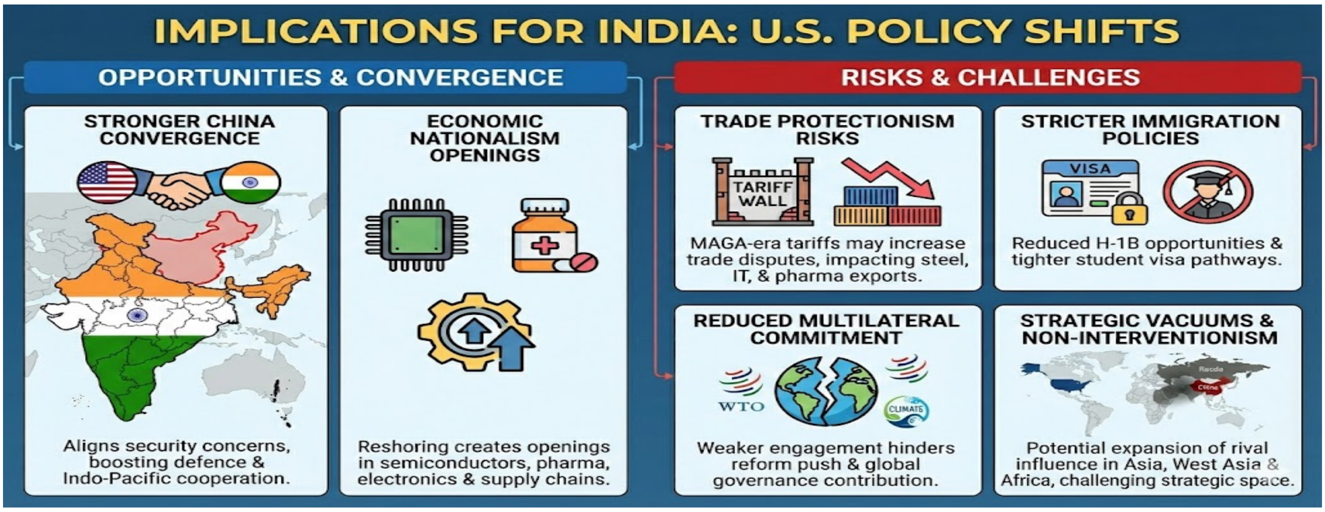

Source: TOI

AI-कॉपीराइट में 'वन नेशन, वन लाइसेंस, वन पेमेंट' मॉडल के साथ बड़ा परिवर्तन

संदर्भ

- DPIIT-नेतृत्व वाली समिति ने 'वन नेशन, वन लाइसेंस, वन पेमेंट: एआई नवाचार और कॉपीराइट का संतुलन' शीर्षक से एक कार्यपत्र जारी किया है।

परिचय

- DPIIT-नेतृत्व वाली समिति ने एआई प्रशिक्षण में कॉपीराइट सामग्री के उपयोग के लिए "हाइब्रिड मॉडल" मुआवजे की सिफारिश की है।
- यदि लागू किया जाता है, तो भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो एआई डेवलपर्स के लिए वैधानिक लाइसेंसिंग व्यवस्था निर्धारित करेगा, जिसमें रॉयल्टी दरें सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा तय की जाएंगी।

इसकी प्रमुख विशेषताएँ

- **उद्देश्य**: आईपी धारकों के अधिकारों की रक्षा करना (मुआवजा मॉडल द्वारा) और साथ ही एआई डेवलपर्स को गुणवत्तापूर्ण डेटासेट तक अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त पहुँच सुनिश्चित करना।
- **अनिवार्य ब्लैंकेट लाइसेंस**: सभी एआई डेवलपर्स को एआई सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए सभी विधिक रूप से प्राप्त कॉपीराइट-संरक्षित कार्यों का उपयोग करने हेतु वैधानिक ब्लैंकेट लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
- **निर्माताओं के लिए वैधानिक पारिश्रमिक अधिकार**: निर्माताओं और कॉपीराइट धारकों को कानून द्वारा अनिवार्य रॉयल्टी प्राप्त होगी, व्यक्तिगत रूप से तय किए गए लाइसेंसिंग सौदों के बजाय।
- **CRCAT (कॉपीराइट रॉयल्टीज़ कलेक्टिव फॉर एआई ट्रेनिंग) का गठन**: कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत नामित एक नई छत्र संस्था:
  - एआई डेवलपर्स से रॉयल्टी एकत्र करेगी।
  - उन्हें कॉपीराइट धारकों की विभिन्न श्रेणियों में वितरित करेगी।
  - ब्लैंकेट लाइसेंस के लिए एक केंद्रीकृत सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगी।
- **रॉयल्टी दर निर्धारण समिति**: केंद्र एक समिति का गठन करेगा जो रॉयल्टी दर तय करेगी।
  - इसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, वरिष्ठ विधिक विशेषज्ञ, वित्तीय या आर्थिक विशेषज्ञ और उभरती प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता रखने वाले तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
  - CRCAT का एक सदस्य और एआई डेवलपर्स का प्रतिनिधि भी समिति का हिस्सा होगा।
- **रॉयल्टी दरें**: पैनल रॉयल्टी दरें तय करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे निष्पक्ष, पूर्वानुमेय और पारदर्शी हों।
  - दरों की समीक्षा और समायोजन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाएगा ताकि तकनीकी एवं बाजार विकास को प्रतिबिंबित किया जा सके।
- **कानूनी राहत**: दर निर्धारण समिति द्वारा तय की गई दरों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और वे न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी।
- **स्वैच्छिक लाइसेंसिंग का अस्वीकार**: समिति ने निजी, स्वैच्छिक लाइसेंसिंग समझौतों (जैसे OpenAI–AP सौदा) को अस्वीकार किया है क्योंकि:
  - उच्च लेन-देन लागत,
  - असमान सौदेबाजी शक्ति,
  - बड़ी कंपनियों द्वारा लाइसेंसिंग पर एकाधिकार का जोखिम,
  - विविध प्रशिक्षण डेटा तक अपर्याप्त पहुँच।
- **वैध पहुँच की पूर्वापेक्षा**: एआई कंपनियाँ अनिवार्य लाइसेंस का उपयोग करके पेवॉल या तकनीकी सुरक्षा उपायों को दरकिनार नहीं कर सकतीं। उन्हें डेटा तक वैध पहुँच होनी चाहिए।
- **पिछले उपयोग पर भुगतान**: यह सुझाव देता है कि जहाँ कॉपीराइटेड डेटा पहले ही एआई सिस्टम में डाला जा चुका है, वहाँ रॉयल्टी का पिछला भुगतान किया जाए और संबंधित मुकदमों में साक्ष्य का भार स्थापित करने के लिए एक ढाँचा तैयार किया जाए।

ऐसे मॉडल की आवश्यकता

- **कॉपीराइट अधिनियम का उल्लंघन**: एआई प्रशिक्षण में डाउनलोडिंग और कार्यों को संग्रहीत करने से लेकर

अस्थायी प्रतियाँ बनाने तक कई पुनरुत्पादन कार्य शामिल होते हैं, जो भारत के कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट उल्लंघन प्रश्न उठाते हैं।

- **कॉपीराइट धारकों को मुआवजा**: एआई कंपनियों को कॉपीराइटेड कार्यों तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच प्राप्त है, इसलिए आवश्यक है कि सभी कॉपीराइट धारकों को समान रूप से मुआवजा दिया जाए।
- **बढ़ता संदेह**: यह कई न्यायक्षेत्रों में समाचार प्रकाशकों के बढ़ते संदेह के बीच आता है कि कॉपीराइटेड सामग्री का उपयोग आधारभूत मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए बिना अनुमति या भुगतान के किया जा रहा है।
- **अदालती मामले**: उल्लंघन ने न्यायालयों के मामलों को उत्पन्न किया है जहाँ प्रकाशकों ने OpenAI के विरुद्ध कॉपीराइटेड सामग्री के अवैध उपयोग पर कानूनी चुनौती दी है।
- **एआई डेवलपर्स द्वारा व्यावसायिक उपयोग**: कई एआई डेवलपर्स ने एआई सिस्टम बनाए हैं जो व्यावसायिक रूप से सफल हैं और भारी राजस्व उत्पन्न करते हैं।
  - निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे एआई डेवलपर्स को अपने कार्यों के पिछले उपयोग के लिए कॉपीराइट मालिकों को रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक होना चाहिए।

उद्योग द्वारा उठाई गई चिंताएँ

- सरकार द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा तय की गई रॉयल्टी दरों पर चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं।
  - कंपनियों का तर्क है कि उन्हें आपसी लाभकारी लाइसेंसिंग दरों पर स्वयं चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- इससे एआई विकास में मंदी आ सकती है, जो अंततः भारत की स्वदेशी एआई क्षमताओं को बनाने और बढ़ाने की महत्वाकांक्षाओं को हानि पहुँचाती है।
- कार्यान्वयन निष्पक्ष और पैमाने-निर्भर होना चाहिए; अन्यथा, यह स्टार्टअप्स के लिए प्रवेश बाधा बनने और स्थापित कंपनियों को और सुदृढ़ करने का जोखिम उत्पन्न करता है।

निष्कर्ष

- यह बढ़ती एआई अपनाने, तेजी से बढ़ते एआई स्टार्टअप्स और एआई डेवलपर्स द्वारा कॉपीराइटेड सामग्री के उपयोग पर संघर्षों की पृष्ठभूमि में आता है।
- सरकार का तर्क है कि एक लाइसेंसिंग ढाँचा घरेलू एआई कंपनियों को समृद्ध, कॉपीराइट-संरक्षित डेटासेट तक पहुँच प्रदान करता है, नवाचार में बाधाओं को कम करता है और भारत के व्यापक लक्ष्य — संप्रभु एआई क्षमताओं के निर्माण — के अनुरूप है।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

सी. राजगोपालाचारी

समाचारों में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी. राजगोपालाचारी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से राजाजी कहा जाता है, को उनकी जयंती (10 दिसंबर) पर श्रद्धांजलि दी।

सी. राजगोपालाचारी

- **प्रारंभिक जीवन और शिक्षा**
  - वे महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे।
  - 1899 में बैचलर ऑफ लॉ पूरा किया और सलेम में वकालत शुरू की।
  - उनकी प्रारंभिक राजनीतिक चेतना कर्ज़न के बंगाल विभाजन (1905) और तिलक के स्वराज के आह्वान से प्रभावित हुई।
- **स्वतंत्रता संग्राम में योगदान**
  - उन्होंने 1919 में अपना कानूनी करियर छोड़ दिया और कई प्रमुख आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई, जिनमें रॉलेट एक्ट विरोध, असहयोग आंदोलन, वैकोम सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन शामिल हैं।
  - 1930 में मद्रास क्षेत्र में वेदारण्यम नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो गांधीजी के दांडी मार्च के समानांतर था।
  - 1912 से 1941 के बीच स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण उन्हें पाँच बार कारावास हुआ।

- भारत छोड़ो आंदोलन के बाद उन्होंने "द वे आउट" प्रकाशित किया, जिसमें पाकिस्तान को लेकर मुस्लिम लीग के साथ संवैधानिक गतिरोध को सुलझाने हेतु सी. आर. फार्मूला प्रस्तावित किया।
- **स्वतंत्रता के बाद योगदान**
  - स्वतंत्रता के पश्चात उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया और बाद में वे भारत के पहले भारतीय गवर्नर-जनरल बने (1947–1950)।
  - उन्होंने भारत की धर्मनिरपेक्ष संरचना की रक्षा करने और मुसलमानों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कार्य किया।
  - सरदार पटेल की मृत्यु के बाद वे केंद्रीय गृह मंत्री बने; उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण और प्रारंभिक योजना प्रक्रियाओं, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना शामिल थी, में योगदान दिया।
- **विरासत**
  - उन्हें राजनीति, साहित्य और लोक सेवा में योगदान के लिए 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

Source :DD

'आपका पैसा, आपका अधिकार' आंदोलन

समाचारों में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से 'आपका पैसा, आपका अधिकार' आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया।

'आपका पैसा, आपका अधिकार' आंदोलन

- यह पहल अक्टूबर 2025 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनके वैध वित्तीय संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
- इसका लक्ष्य लोगों को अविकसित जमा राशि, बीमा दावे, लाभांश और अन्य वित्तीय संपत्तियों को वापस पाने में सहायता करना है।
- यह व्यक्तियों को भूली हुई वित्तीय संपत्तियों को उपयोगी धन में बदलने का अवसर प्रदान करता है।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय बैंकों के पास वर्तमान में लगभग ₹78,000 करोड़ की अविकसित जमा राशि है।
- बीमा कंपनियों के पास लगभग ₹14,000 करोड़ अविकसित पड़े हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास लगभग ₹3,000 करोड़ और अविकसित लाभांश लगभग ₹9,000 करोड़ हैं।

विभिन्न कदम

- आसान ट्रैकिंग और धन का दावा करने के लिए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए हैं:
  - RBI **UDGAM पोर्टल** – अविकसित बैंक जमा के लिए
  - IRDAI **बीमा भरोसा पोर्टल** – अविकसित बीमा दावों के लिए
  - SEBI **MITRA पोर्टल** – अविकसित म्यूचुअल फंड राशि के लिए
  - IEPFA पोर्टल – अवैतनिक लाभांश और अविकसित शेयरों के लिए
- देशभर के 477 जिलों में सुविधा शिविर आयोजित किए गए हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

स्रोत: DD

मेफेड्रोन

समाचारों में

- राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने महाराष्ट्र के वर्धा में "ऑपरेशन हिन्टरलैंड ब्रू" नामक रणनीतिक अभियान के दौरान एक गुप्त मेफेड्रोन निर्माण सुविधा को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया।

मेफेड्रोन क्या है?

- मेफेड्रोन, जिसे 4-मेथिलमेथकैथिनोन (4-MMC) या 4-मेथिलेफेड्रोन भी कहा जाता है, एम्फ़ेटामाइन और कैथिनोन परिवार से संबंधित एक सिंथेटिक उत्तेजक दवा है।
- इसे **न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंस (NPS)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अवैध ड्रग बाजारों में इसे सामान्यतः "म्याऊ म्याऊ", "बाथ सॉल्ट्स" या "रिसर्च केमिकल्स" कहा जाता है।
- मेफेड्रोन **NDPS अधिनियम, 1985** के अंतर्गत प्रतिबंधित है।

राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण ढाँचा

- **नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA)**, जिसका अर्थ है "ड्रग-फ्री इंडिया अभियान", भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था।
- यह 2018 में तैयार किए गए **राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR)** के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है।

स्रोत: PIB

नई गाज़ा सीमा को परिभाषित करती 'येलो लाइन'

संदर्भ

- इज़राइली सेना ने "येलो लाइन" को, जो 2025 में अमेरिका-प्रायोजित युद्धविराम के चरण-1 के दौरान सहमत अस्थायी वापसी रेखा है, "नई सीमा" के रूप में वर्णित किया है।

येलो लाइन के बारे में

- येलो लाइन गाज़ा पट्टी के अंदर एक अस्थायी सैन्य सीमांकन रेखा है।
- रेखा के पूर्व का क्षेत्र सीधे इज़राइली परिचालन नियंत्रण में रहता है।
- **इज़राइल द्वारा नियंत्रित क्षेत्र:** गाज़ा का आधे से अधिक हिस्सा (53–58%) इज़राइल के नियंत्रण में है। इसमें अधिकांश कृषि भूमि और मिस्र के साथ रफ़ा सीमा चौकी शामिल है।

Source: IE

ट्रम्प द्वारा भारतीय चावल पर टैरिफ लगाने की धमकी

संदर्भ

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने कृषि आयातों, विशेषकर भारत से चावल आयात पर नए शुल्क लगाने की चेतावनी दी है क्योंकि व्यापार वार्ता बिना किसी बड़े प्रगति के जारी है।

परिचय

- अमेरिका, भारत के कुल चावल निर्यात का लगभग 3% भाग बनाता है, जबकि भारतीय चावल अमेरिका के आयातित चावल का एक-चौथाई से अधिक हिस्सा है।
  - अमेरिका भारत के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य नहीं है, लेकिन चावल के मामले में भारत अमेरिका के लिए एक प्रमुख आयात स्रोत है।
  - 2024 में भारत का अमेरिका को चावल निर्यात, अमेरिका के कुल चावल आयात का 26.1% था।

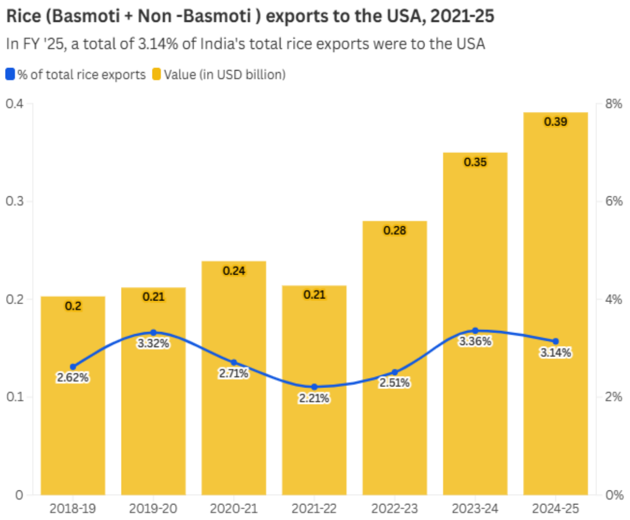

भारत का चावल निर्यात

- चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है, इसके बाद भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया आते हैं।
  - भारत और चीन मिलकर विश्व के आधे से अधिक चावल उत्पादन का भाग हैं।
  - हालांकि, चीन सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जिससे निर्यात के लिए बहुत कम बचता है।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, जिसने 2023 में विश्व के कुल चावल निर्यात का 33% हिस्सा लिया।

- भारत 179 अन्य देशों को चावल निर्यात करता है।
- बासमती चावल का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया को जाता है, जहाँ सऊदी अरब, इराक, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका से बड़े बाजार हैं।
- गैर-बासमती चावल के मामले में, भारतीय अनाज का सबसे बड़ा बाजार अफ्रीका है — विशेषकर महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से के देश।

- दो पूर्वी एशियाई देश — थाईलैंड और वियतनाम — वैश्विक चावल बाजार में भारत के मुख्य प्रतिस्पर्धी हैं।
  - 2023 में इन दोनों देशों का संयुक्त चावल निर्यात लगभग भारत के बराबर था।

स्रोत: TH

ब्लू कॉर्नर नोटिस

समाचारों में

- इंटरपोल ने गोवा में नाइटक्लब मालिकों का पता लगाने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है, जहाँ क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मृत्यु हो गई।
  - गोवा पुलिस ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से इंटरपोल से यह नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था।

इंटरपोल नोटिस

- ये अंतरराष्ट्रीय अलर्ट होते हैं जिनका उपयोग सदस्य देशों की पुलिस अपराध-संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए करती है।
- इन्हें इंटरपोल के महासचिवालय द्वारा किसी सदस्य देश, अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय या संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर जारी किया जाता है।
- ये नरसंहार, युद्ध अपराध या मानवता के विरुद्ध अपराध जैसे मामलों में वांछित व्यक्तियों को खोजने या संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को लागू करने में सहायता कर सकते हैं।
- अधिकांश नोटिस केवल पुलिस उपयोग के लिए होते हैं, हालांकि यदि जारी करने वाला प्राधिकरण अनुरोध करे तो सार्वजनिक अंश जारी किए जा सकते हैं।
  - सभी संयुक्त राष्ट्र विशेष नोटिस सार्वजनिक होते हैं।

नोटिस के प्रकार

- **रेड नोटिस**: अभियोजन या सजा काटने के लिए वांछित व्यक्तियों का पता लगाने और गिरफ्तारी हेतु।
- **येलो नोटिस**: लापता व्यक्तियों, अक्सर नाबालिगों, का पता लगाने या उन व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करने के लिए जो स्वयं की पहचान नहीं कर सकते।

- **ब्लू नोटिस**: किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए, जो आपराधिक जांच से संबंधित हो।
- **ब्लैक नोटिस**: अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए।
- **ग्रीन नोटिस**: किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए, जहाँ व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है।
- **ऑरेंज नोटिस**: किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया के बारे में चेतावनी देने के लिए जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और आसन्न खतरा प्रस्तुत करता है।
- **पर्पल नोटिस**: अपराधियों द्वारा उपयोग किए गए कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों और छिपाने के तरीकों पर जानकारी प्राप्त करने या प्रदान करने के लिए।
- **सिल्वर नोटिस (पायलट चरण)**: आपराधिक संपत्तियों की पहचान और पता लगाने के लिए।
- **इंटरपोल–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस**: उन संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समितियों के लक्ष्य हैं।

Source :IE

भारत 6G गठबंधन (B6GA)

समाचारों में

- केंद्रीय संचार मंत्री ने भारत 6G मिशन के अंतर्गत शीर्ष परिषद की बैठक की अध्यक्षता की और भारत 6G एलायंस (B6GA) की प्रगति की समीक्षा की।

भारत 6G एलायंस (B6GA)

- यह एक सहयोगात्मक बहु-हितधारक मंच है जो शैक्षणिक संस्थानों, घरेलू उद्योगों और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को एक साथ लाता है।
- यह भारत 6G विज़न का कार्यान्वयन अंग है, जिसे भारत ने मार्च 2023 में प्रस्तुत किया था ताकि 2030 तक राष्ट्र को 6G प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया जा सके।

6G प्रौद्योगिकी के बारे में

- 6G वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी की आगामी सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, जो 5G के पश्चात मोबाइल नेटवर्क की छठी पीढ़ी है।
- 6G अधिकतम 1 टेराबिट प्रति सेकंड (1 Tbps) की डेटा गति प्रदान करेगा, जो 5G की 10 Gbps गति से लगभग 100 गुना तेज है।
- 6G अल्ट्रा-लो लेटेंसी 0.1 मिलीसेकंड प्राप्त करेगा (जबकि 5G की लेटेंसी 1 मिलीसेकंड है)।

Source: PIB

अफ्रीकी पेंगुइन

संदर्भ

- एक नए अध्ययन में पाया गया है कि दक्षिणी अफ्रीका के तट पर अत्यधिक सार्डिन मछली पकड़ने से 2004 से 2011 के बीच 60,000 से अधिक अफ्रीकी पेंगुइनों की मृत्यु हुई, विशेषकर डैसन और रॉबेन द्वीपों के आसपास।

अफ्रीकी पेंगुइन के बारे में

- **वैज्ञानिक नाम:** स्फेनिस्कस डेमर्सस
- सबसे छोटे पेंगुइन प्रजातियों में से एक, तीव्र तैराक, जो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के तटों पर रहते हैं।
- अंटार्कटिक पेंगुइनों के विपरीत, ये बर्फ पर नहीं बल्कि रेतीले समुद्र तटों और पथरीले किनारों पर रहते हैं।
- आँखों के ऊपर गुलाबी रंग का खुला पैच होता है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- प्रत्येक पेंगुइन की छाती पर धब्बों का पैटर्न अद्वितीय होता है, जैसे मनुष्यों के फिंगरप्रिंट।
- IUCN द्वारा 2024 में "संकटग्रस्त" से "गंभीर रूप से संकटग्रस्त" श्रेणी में पुनः वर्गीकृत किया गया।

क्या आप जानते हैं?

- विश्व में कुल 18 पेंगुइन प्रजातियाँ हैं — जिनमें किंग, एम्परर और रॉकहॉपर सबसे प्रसिद्ध हैं।

Source: DTE